सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू

प्रकरण संख्या : 01/2018

पीठासीन अधिकारी – पूरण सिंह (आर.टी.एस.)

अन्तर्गत धारा 90 क सपठित धारा 91 राजस्थान भू–राज. अधिनियम 1956
सरकार बनाम सुमेर सिंह पुत्र रामदेव सिंह जाति अहीर निवासी मैणास
तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू (राज0)

दिनांक :20.07.18

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित । संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का, कुमावास कि रिपोर्ट अनुसार ग्राम मैणस स्थित भूमि खसरा नम्बर 297 रकबा 4.43 है0 किस्म बारानी प्रथम की खातेदारी सुमेर सिंह पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी मैणास के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें उक्त भूमि कें खातेदार सुमेर सिंह पुत्र रामदेव सिंह ने सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही 945.05 वर्ग मीटर भूमि पर बायोडिजल पेट्रोल पम्प निमार्ण कर रहा है। जो कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में ले लिया गया है। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क सपठित धारा 91 के तहत दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी ने जवाब नोटिस पेश किया तथा लिखित कथन पेश किया कि श्रीमानजी द्वारा दिनांक 14.02.18 को रास्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए सपठित धारा 91 मु0न0 01/2018 के निर्माण कार्य बन्द करवाने के लिए नोटिस प्रेषित किया गया है। श्रीमानजी वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ बायोडिजल पम्प कम्पनी द्वारा ऐसी कोई प्रकिया नही मांगी गयी हैं। लेकिन अब मेरे द्वारा उक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाकर ही बायोडिजल पम्प का निर्माण व बिकी कि जायेगी। तथा भूमि का संपिवर्तन कराने हेतु समय चाहा । अप्रार्थी को संपरिवर्तन की प्रति पेश करने हेतु समय दिया गया। अप्रार्थी के जबाव नोटिस के कम में पटवारी हल्का, से रिपोर्ट चाही पटवारी हल्का द्वारा दुरभाष पर सूचित किया कि अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य बन्द कर दिया है। अप्रार्थी न बताया कि उसने भूमि का संपरिर्वतन कराने हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, नवलगढ के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है, आदेश प्राप्त होते ही संपरिवर्तन की प्रति पेश कर दि जायेगी तथा उसके उपरान्त ही आगे निर्माण कार्य किया जायेगा।

अप्रार्थी ने दिनाक 20.07.18 को उपस्थित होकर कार्यालय में संपरिर्वतन की प्रति पेश कि तथा निवेदन किया कि उसने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय नवलगढ से ग्राम मैणास में स्थित भूमि ख.न. 297 रकबा 4.3959 है0 मे से 0.0961 है0 अर्थात 961 वर्ग मीटर भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु संपरिर्वतन करा लिया है। अतः श्रीमानजी के कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण मु0 न0 01/2018 रा0ले0 रे0 एक्ट 1956 की धारा 90ए सपठित 91 का प्रकरण ड्रोप फरमाया जावे। अप्रार्थी द्वारा पेश किया गया संपरिवर्तन आदेश पत्रावली शामिल मिसल किया। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा आदेश कमांक राजस्व/रूपा./2018/ 430–436 दिनांक 20.06.18 को जारी संपरिवर्तन आदेश में ग्राम मैणास पंचायत कुमावास में भूमि ख.न. 297 रकबा 4.3959 है0 मे से 0.0961 है अर्थात 961 वर्ग मीटर भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश हुआ। इस कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण मु0न0 01/2018 रा0ले0 रे0 एक्ट 1956 की धारा 90ए सपठित 91 पर कोई कार्यवाही किया जाना शेष नही रह जाता है। उक्त प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद दाखील दप्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/7/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार नवलगढ़

तहसीलदार
नवलगढ़ (झुंझुनू)